**बिहार सरकार**

**लघु जल संसाधन विभाग**

*सं०संख्या–ल०सिं०मो०-JJHA/आवंटन-45/2024-*205 *पटना, दिनांक*–30/7/26

प्रेषक,

**राजीव कुमार झा**
**सरकार के उप सचिव ।**

**सेवा में,**

E-mail

**कार्यपालक अभियन्ता,**
**लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा ।**

**विषय–वित्तीय वर्ष 2026-27 अन्तर्गत नाबार्ड सम्पोषित (जल-जीवन-हरियाली) योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा निर्गत आवंटन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय आवंटन **CFMS-2.0** प्रणाली द्वारा **जल-जीवन-हरियाली योजनाओं के क्रियान्वयन** *हेतु* आवंटन निर्गत किया गया है ।

2. वर्तमान में **कुल-8.587 लाख (आठ लाख अंठावन हजार सात सौ) रूपये मात्र** का आवंटन दिया जाता है:-

(राशि लाख रूपये में)

| क्र0 | योजना का नाम | वर्तमान आवंटित राशि | | कुल आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | 50-4702001020107 (विषय शीर्ष-53.01) | 50-4702007890105 (विषय शीर्ष-53.01) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | इढौर ठाकुरबाड़ी पोखर का जीर्णोद्धार कार्य | 7.21308 | 1.37392 | 8.58700 |

3. आवंटित राशि का व्यय बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता तथा समय-समय पर दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय ।
4. संबंधित योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित कार्यपालक अभियंता की जिम्मेवारी होगी ।
5. मापीपुस्त (MB) को PWD Code एवं PWD Account Code के तहत् जाँच कर ही भुगतान संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।
6. खनन कर, GST के प्रावधान के अनुसार शुल्क (Tax) जमा कराना संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि कार्य प्राक्कलन एवं विशिष्टि के अनुरूप हुआ है ।
8. योजनाओं के कार्य के डिफेक्ट को दूर कर ही भुगतान किया जाय । साथ ही विलम्ब से चल रही योजनाओं में नियमानुसार पेनाल्टी की कटौती करने हेतु विभागीय पत्रांक-235 (मो0) दिनांक-17.02.26 द्वारा प्रदत्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगें ।
9. प्रशासनिक स्वीकृति के बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि की सीमा के अन्तर्गत ही भुगतान किया जाय ।
10. संबंधित योजनाओं के स्थल सीमांकन का सत्यापन संबंधित अंचलाधिकारी से कराना कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।
11. आवंटित राशि का व्यय संबंधित योजनाओं में स्वीकृत राशि के अधीन ही किया जाय। जिन योजनाओं के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जाँच चल रही हो, उसमें अंतिम निर्णय होने एवं विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान किया जाय ।
12. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन हैं। बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम-342 के अनुसार पूर्व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

13. योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी पदाधिकारी बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधानों तथा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में कार्य कराने के लिए जिम्मेवार होंगे ।
14. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।
15. आवंटित राशि के नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें । साथ ही आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय। उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की तत्काल आवश्यकता हो । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जाय ।
16. व्यय प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ।
17. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यो का भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे तथा यह सुनिशिचित करेगें कि व्यय नियमानुकूल एवं निर्धारित सीमा के अन्दर हो ।
18. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेगें तथा स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध करायेगें । यदि आपके द्वारा कार्यो का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो कार्यो पर किये गये भुगतान की जबावदेही आप की भी होगी ।
19. उक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **आरा** होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, **पटना होगें ।**
20. अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना संबंधित योजना एवं उक्त आवंटित राशि के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होगें तथा क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे ।
21. राशि की निकासी जिला कोषागार, **आरा** से की जायेगी ।
22. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
23. संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि आवंटित राशि का नियमानुकुल व्यय करते हुए प्रस्तावित सभी योजनाओं का पी0सी0आर0 विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।
24. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया गया है ।

**विश्वासभाजन**

(हस्ताक्षर) 30/7/26

**(राजीव कुमार झा)**
**सरकार के उप सचिव**

ज्ञापांक- 205 पटना, दिनांक- 30/7/26

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना /अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0) अनुश्रवण/आई0टी0मैनेजर,आई0टी0 कोषांग को आवंटनादेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 30/7/26
**सरकार के उप सचिव**

ज्ञापांक- 205 पटना,, दिनांक- 30/7/26

**E-mail**

प्रतिलिपिः-संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित अंचलाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 30/7/26
**सरकार के उप सचिव**